# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 394 प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-03025**

आवेदक : श्री मनोज महावर, पिता–श्री कृष्ण मुरारी महावर, पता– फ्लैट नं.–बी–1, अरिहंत श्री अपार्टमेंट, आमापारा, जिला–धमतरी (छ.ग.) विरूद्ध श्री दीपक जैन,, पिता–श्री मोहन लाल जैन, पता–हैवल्स गैलेक्सी के पास, बस्तर रोड, जिला–धमतरी (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''अरिहंत श्री अपार्टमेंट'', पता–आमापारा, जिला–धमतरी (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **16/01/2026** | – प्रकरण प्रस्तुत।<br>– आवेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31, नियम–35 के अधीन अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।<br>– आवेदक श्री मनोज मनोहर स्वतः उपस्थित। उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष मौखिक आवेदन किया गया कि अनावेदक से आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है और वे प्रकरण वापस लेना चाहते है।<br>अनावेदक के लगातार पाँच सुनवाई तिथि में उपस्थित नहीं रहने के कारण प्राधिकरण के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनावेदक के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।<br>आवेदक द्वारा दिनाँक 12.08.2025 को अरिहंत श्री अपार्टमेंट के लोगों का मानव जीवन संकटापन्न होने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत छायाचित्र का अवलोकन करते हुए प्रकरण को गंभीर मान प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आवेदक अब प्रकरण वापस लेना चाहते है। प्राधिकरण के समक्ष आवेदक द्वारा प्रकरण वापस लिए जाने की स्थिति में नस्तीबद्ध किए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।<br>प्राधिकरण के द्वारा यह प्रकरण आदेश की प्रति नगरपालिक निगम, धमतरी के आयुक्त, कलेक्टर, धमतरी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, धमतरी को अग्रेषित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।<br><br>सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य<br>सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष | |